न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 05/2013

पीठासीन अधिकारी

करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 भूदाराम उम्र 49 वर्ष पुत्र गुल्लाराम।
2 विक्रम उम्र 31 वर्ष पुत्र रामचन्द्र।
3 दल्लाराम उम्र 56 वर्ष दत्तक पुत्र मेघा।
4 अर्जुनलाल (फोत)।
4/1 सोनी देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी अर्जुनलाल।
4/2 सन्तोष उम्र 38 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/3 सन्तरा उम्र 36 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/4 ममता उम्र 33 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/5 योगेश उम्र 24 वर्ष पुत्र अर्जुनलाल।
4/6 मनोज देवी उम्र 22 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
5 बनवारी उम्र 57 वर्ष पुत्र नोपाराम।
6 फूली देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी गोविन्दाराम।
7 श्रवण उम्र 41 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
8 सुरेश उम्र 39 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
9 सुभाष उम्र 37 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
10 जुगल उम्र 35 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
11 मुकेश उम्र 32 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
12 धर्मेन्द्र उम्र 29 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
13 नारायणी (फोत)।
13/1 किशनी पुत्री नारायणी पत्नी हेमाराम।
14 भगवानाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र रूघाराम।
15 दीनदयाल उम्र 51 वर्ष पुत्र रूघाराम।
16 सोहनी उम्र 51 वर्ष पुत्र रामचन्द्र।
17 दिनेश उम्र 28 वर्ष पुत्र राजेन्द्र।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 विमला देवी उम्र 49 वर्ष पत्नी राजेन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र गंगुराम ।

2 हणमान राम पुत्र गंगुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम माजीपुरा तहसील व जिला सीकर

3 टोडाराम उम्र 51 वर्ष पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।

4 सन्तरा देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ग्राम आकवा तहसील धोद जिला सीकर।

5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्व अन्तिम डिक्री दिनांक
23.08.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
पीठासीन अधिकारी श्री बनवारी लाल बासनीवाल
आर.ए.एस. दावा संख्या 470/2011 बउनवानी
सुरजाराम बनाम हणमानाराम वगैरह दावा बाबत
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रसाणार्थ

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 06 / 2013

1 1 भूदाराम उम्र 49 वर्ष पुत्र गुल्लाराम।
2 विक्रम उम्र 31 वर्ष पुत्र रामचन्द्र।
3 दल्लाराम उम्र 56 वर्ष दत्तक पुत्र मेघा।
4 अर्जुनलाल (फोत)।
4/1 सोनी देवी उम्र 62 वर्ष पत्नी अर्जुनलाल।
4/2 सन्तोष उम्र 38 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/3 सन्तरा उम्र 36 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/4 ममता उम्र 33 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
4/5 योगेश उम्र 24 वर्ष पुत्र अर्जुनलाल।
4/6 मनोज देवी उम्र 22 वर्ष पुत्री अर्जुनलाल।
5 बनवारी उम्र 57 वर्ष पुत्र नोपाराम।
6 फूली देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी गोविन्दाराम।
7 श्रवण उम्र 41 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
8 सुरेश उम्र 39 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
9 सुभाष उम्र 37 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
10 जुगल उम्र 35 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
11 मुकेश उम्र 32 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
12 धर्मेन्द्र उम्र 29 वर्ष पुत्र गोविन्दाराम।
13 नारायणी (फोत)।
13/1 किशनी पुत्री नारायणी पत्नी हेमाराम।
14 भगवानाराम उम्र 55 वर्ष पुत्र रूघाराम।
15 दीनदयाल उम्र 51 वर्ष पुत्र रूघाराम।
16 सोहनी उम्र 51 वर्ष पुत्र रामचन्द्र।
17 दिनेश उम्र 28 वर्ष पुत्र राजेन्द्र।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 विमला देवी उम्र 49 वर्ष पत्नी राजेन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजाराम पुत्र गंगुराम ।
2 हणमान राम पुत्र गंगुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम माजीपुरा तहसील व जिला सीकर
3 टोडाराम उम्र 51 वर्ष पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर।
4 सन्तरा देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी ग्राम आकवा तहसील धोद जिला सीकर।
5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.11.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी श्री जे.पी. त्यागी आर.ए.एस. दावा संख्या 470/2011 बउनवानी सुरजाराम बनाम हणमानाराम वगैरह दावा बाबत बंटवारा व स्थायी अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थित

1. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:–14.02.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा दावा संख्या 470/2011 में पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 03.11.2011 एवं अन्तिम डिकी दिनांक 23.08.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में विवादित भूमि व पक्षकार समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है दोनों पत्रावलीयों में आदेश की प्रतियां अलग–अलग रखी जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने ग्राम जगमालपुरा तहसील सीकर की भूमि खसरा नम्बर 580 से 585, 748 से 749 के सन्दर्भ में है। विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने वाद प्रस्तुत करने के दिन ही प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना ही प्राथमिक डिकी वाद प्रस्तुत करने के दिन ही दिनांक 03.11.2011 को पारित कर दी। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई किये बिना तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अन्तिम डिकी दिनांक 23.08.2012 को पारित कर दी। इन दोनों प्राथमिक एवं अन्तिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिकी के विरूद्व यह प्रथक–प्रथक अपीले प्रतिवादी अपीलांट की और से प्रस्तुत की गई है।

वरवक्त बहस प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 05 सन्तरा देवी पत्नी सुभाष की और से आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर में विचाराधीन वाद संख्या 436/2012 भूदाराम बनाम सुरजाराम की सम्पूर्ण आदेशिका, वाद पत्र एवं जवाब दावा की प्रति रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया चूकिं प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व न्यायालय में लम्बित नियमित वाद, आदेशिका एवं जवाब दावे की प्रमाणित प्रतिलिपियां है जो लोक दस्तावेज है अत न्यायहित में आवेदन स्वीकार कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाते है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्व है प्राथमिक डिकी एंव अन्तिम डिकी के लिए अपीलांट को विचारण न्यायालय में नोटिस ही जारी नही किये गये है मनमर्जी से निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल में निर्धारित प्रकिया की पालना नही की गई है। विभाजन के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की भी पालना नही की गई है। अत दोनो अपीले स्वीकार की जावें। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1136, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 258, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1157, आर.आर.टी. 2009–10 पेज 485, आर.एल. डब्ल्यू. 2003 राजस्थान पेज 431 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत हुआ था दावा पेश होते ही पी.डी. जारी हो गई अपीलांट ने अपील में यह लिखा है कि गंगुराम के ससुराल में हुक्माराम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा जमीन कय की है। इसका कोई साक्ष्य नही दिया है हुक्माराम के समस्त पुत्र संवत 2002 में अलग-अलग हो गये थे 2011 में हनुमान की शादी हुई तब दुसरे भाईयों ने गंगुराम के यहां न्यौता डाला था संयुक्त परिवार होता तो भाई न्यौता नही डालते। गंगाराम के नाम रिकार्ड में इन्द्राज चला आ रहा था उसका कोई ऑब्जेकशन क्यो नही किया गया। बंटवारा प्रस्ताव के आदेश तहसीलदार को दिये जाते है विवादित भूमियों के सन्दर्भ में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रथक से वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है विचारण न्यायालय के निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांट सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने वाद प्रस्तुत होने के दिन ही प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये बिना, कोई सुनवाई किये बिना प्राथमिक डिकी जारी की है। जो राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के पूर्णतया विपरित है विचारण न्यायालय द्वारा प्रकिया की पालना ही नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई, बिना नोटिस जारी किये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर अन्तिम डिकी जारी कर दी है। यह डिकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के सर्वथा विपरित है। जहा तक विवादित भूमियों के सन्दर्भ में अपीलांट का विचारण न्यायालय में वाद लम्बित होने का तर्क है इससे विचाराधीन प्राथमिक एवं अन्तिम डिकी का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय प्राथमिक एवं अन्तिम डिकी अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर, साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर